

Date: 27th June, 2025

| | |
|--|--|
| To, The Manager, Listing & Compliance, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 <u>Ref: Scrip Code - 540393</u> | To, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai - 400 051 <u>Ref: Scrip Symbol - SMLT</u> |
|--|--|

Subject: Newspaper Advertisement - Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we enclose copies of newspaper advertisement published in following newspapers, regarding record date, and e-voting information for 30th Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India.

1. Financial Express (National Daily newspaper - English Edition), on 27th June, 2025.
2. Shram Bindu (Regional Daily newspaper - Hindi Edition), on 27th June, 2025.

The extract of the newspaper advertisement is annexed herewith for reference.

Kindly take the same on your record.

Yours' Faithfully,

For, **Sarthak Metals Limited**

Pratik Jain
Company Secretary and Compliance Officer

पति पत्नी के आपसी विवाद में पति ने पेट्रोल डाल खुद को किया आग के हवाले

श्रमबिन्दु / बलरामपुर

शंकरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मानपुर में बुधवार को एक पारिवारिक विवाद में पत्नी से कहासुनी और मारपीट के बाद युवक ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि अनुरंजन एक्का पिता अकलू (35 वर्ष) का किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से विवाद हुआ था, जो मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल पत्नी को प्राथमिक उपचार के लिए शंकरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर किया गया। घटनाक्रम से मानसिक रूप से व्यथित अनुरंजन ने पेट्रोल डाल कर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम पश्चात परीजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।



दो युवकों की रहस्य मौत, जांच में जुड़ी पुलिस



श्रमबिन्दु / बलरामपुर

जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की मौत हो गई। दोनों मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी भारद्वाज सिंह ने बताया कि ग्राम सिंगचोरा निवासी 23 वर्षीय चंद्रशेखर पिता भता बांस काटने गया था। परीजनों के अनुसार वह दोपहर करीब 2 बजे घर लौटा और बताया कि वह बांस की डाली खींचते एक पेड़ में चढ़ा था, बांस की डाली खींचते समय वह पेड़ से गिर गया, जिससे उसके दोनों पैरों में चोट आई है। परीजन उसे तत्काल एम्बुलेंस से राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परीजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। दूसरे मामले में ग्राम बूढ़ाबगीचा निवासी 30 वर्षीय सूर्यप्रकाश पिता बालम शांडिल्य सुबह 10 बजे घर से खाना खाकर निकला था। कुछ घंटे बाद नवकी गांव के रिस्तेदारों ने सूचना दी कि वह शराब दुकान के पीछे गौटान के पास शराब के नशे में सोया हुआ है। परीजनों ने मौके पर पहुंचकर युवक को राजपुर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और युवक का विसरा जांच के लिए सुक्षित रखा है।

आयुष स्वास्थ्य मेला में 5 10 रोगियों का हुआ निःशुल्क उपचार

श्रमबिन्दु / रायगढ़

आयुक्त आयुष संचालनालय रायपुर छ.ग.के आदेशानुसार एवं जिला आयुष अधिकारी डॉ.गौराहा के मार्गदर्शन में डॉ.अजय नायक के

स्वरोजगार संबंधी लोन प्रकरण किसी भी बैंक से न हो वापस, रखें ध्यान-कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी

श्रमबिन्दु / रायगढ़

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि स्वरोजगार से संबंधित कोई भी छोटे लोन प्रकरण किसी भी बैंक से दस्तावेज कमी के कारण वापस नहीं होने चाहिए, दस्तावेज कमी होने पर हितग्राहियों को जानकारी देने के साथ ही संबंधित विभाग को सूचित करना सुनिश्चित करें।

इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि बैंक में प्रकरण जाने से पूर्व दस्तावेज पूर्ण हो यह विभाग के जमीनी स्तर के अधिकारियों का जिम्मा है। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोन वितरित कर लोगों को स्वरोजगार से जोड़े। उन्होंने मुद्रा लोन में हितग्राहियों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए।



कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने बैंकवार लक्ष्य की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान एलडीएम श्री कमल किशोर सिंह ने बताया कि बैंकों द्वारा कैम्प लगाकर लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। जिस पर कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि बैंक इसमें स्थान चयन कर बुजुर्ग व्यक्तियों को फोकस करें, ताकि जो बुजुर्ग घर से बैंक नहीं जा सकते उन्हें बैंक में संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके साथ विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि क्रेडिट लिंकेज शासन की महत्वपूर्ण योजना के

साथ प्राथमिकता रही है। उनको क्रेडिट देकर लोगों को स्वरोजगार प्रदान करें।

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि, कमजोर वर्ग को ऋण, महिलाओं को ऋण, अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर चतुर्वेदी ने अंत्योदय स्वरोजगार योजना के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बैंकवार केसीसी प्रकरण की समीक्षा की। उन्होंने

जांच में मिली अनियमितता, पांच कृषि केंद्र को कारण बताओ नोटिस

श्रमबिन्दु / बलौदाबाजार

कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर जिले में संचालित कृषि आदान विक्रय केंद्रों का लगातार जांच जारी है। उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक के नेतृत्व में निरीक्षकों के द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में संचालित विक्रय केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर अनियमितता पर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में बुधवार को निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 5 कृषि केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलारी विकासखंड के ग्राम भवानीपुर में संचालित पटेल कृषि सेवा केंद्र का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान विक्रय केंद्र में निर्धारित प्रपत्र स्कंध पंजी का



संधारण नहीं पाया गया। ग्राम वटगन के चंद्राकर कृषि केंद्र एवं अमरा के शिवराम कृषि केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। इसी तरह

बलौदा बाजार विकासखंड के निरीक्षक लोकरनाथ दिवान एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी जयवंद कंवर द्वारा अंगार मोती

कृषि केंद्र, सोनपुरी का निरीक्षण किया गया निरीक्षण में बीज स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित एवं स्कंध पंजी संधारित नहीं था, कीटनाशक का भी स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं किया गया था। ग्राम लट्ठा के दीपक कृषि केंद्र का निरीक्षण किया गया जहां उर्वरक का उपलब्ध स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था, स्कंध पंजी संधारित नहीं किया गया था, उपलब्ध कीटनाशक स्कंध एवं मूल्य सूची प्रदर्शित नहीं था तथा कृषि केंद्र में कालातीत कीटनाशक दवाइयों का नियमानुसार रख रखाव नहीं किया गया था। सभी कृषि के विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तथा कृषि आदान विक्रय केंद्रों को किसी भी परिस्थिति में अनियमितता न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

एनएच 343 पर आवारा मवेशियों का राज, हिंदू युवा एकता मंच ने सौंपा एसडीएम को ज्ञापन

श्रमबिन्दु / उमेश सिंह

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत हमेशा सुखियों में रहता है। उल्लेखनीय है कि राजपुर नगर में लंबे समय से आवारा मवेशियों की समस्या बनी हुई है, जो न केवल ट्रैफिक में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि दुर्घटनाओं का कारण भी बन रहे हैं। इस घटना के बाद नगर में प्रशासन की भूमिका और मवेशी नियंत्रण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

अपनी कार्यशैली के लिए विख्यात होते जा रहा नगर पंचायत बीते दिवस वाहन को ठोकर से एक मवेशी को मौत होने पर एक बार फिर सुखियों में हैं। राजपुर नगर पंचायत की सड़कों पर आवारा मवेशियों और पशुओं ने अपना आशियाना बना रखा है। जिसके लिए नगर पंचायत राजपुर के पास मवेशियों के रखने के

कोई उपयुक्त ठिकाना नहीं होने के कारण आवारा मवेशी राजपुर के सड़कों पर आशियाना बनाए हुए है। आवारा मवेशियों के घूमने फिरने से दुर्घटनाओं की आशंका हर समय बनी रहती है।

पशु दुर्घटना रोकने के लिए हिन्दू युवा एकता मंच ने अनुविभागीय अधिकारी को साँपा ज्ञापन

बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर एवं आज पास के मुख्य मार्ग में आये दिन तेज गति वाहन के कारण सड़क किनारे चलने वाले पशु की दुर्घटना हो रही है जिसके कारण पशु गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और कई पशुओं की मृत्यु हो गई है। जिसको देखते हुए हिन्दू युवा एकता मंच के सदस्यों द्वारा अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र कुमार प्रधान को ज्ञापन देते हुते अवगत कराया कि तेज गति वाहन एवं भारी वाहनों के गतियों में नियंत्रण

किया जाये और साथ ही पशुओं में रेडियम पट्टी बांधा जाए।

राजपुर में एक्सयूवी की टकर से मवेशी की मौत, डॉक्टर पर नशे में वाहन चलाने का आरोप

राजपुर थाना क्षेत्र के महुआपारा में बुधवार शाम करीब 4 बजे एक एक्सयूवी वाहन की टकर से एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर प्रशांत कुमार चला रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर शराब के नशे में लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहे थे। घटना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष धरम सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और थाने में डॉक्टर के खिलाफसख्त कार्रवाई की मांग की। मामले को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। राजपुर थाना प्रभारी भारद्वाज

सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में पाया गया कि डॉक्टर प्रशांत कुमार पंखा (पिता – शोभनाथ, उम्र – 33 वर्ष) ने शराब के नशे में लापरवाही से वाहन चलाते हुए मवेशी को टकर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में डॉक्टर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 325 ब्रह्म और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 285 के तहत एफ्भाईआर दर्ज कर ली गई है।

स्थानीय नागरिकों की माने तो पूर्व में भी हो चुके है कई हादसे

स्थानीय नागरिकों की माने तो, एक्सीडेंट का यह पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी कई बार आवारा पशुओं के कारण हादसे हो चुके हैं, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारी (सीएमओ) का इस और कभी ध्यान नहीं जाता ना ही अब तक कोई उपयुक्त कदम उठाया गया, जिस

कारण आवारा मवेशी जगह-जगन में रोड पर अपना आशियाना बनाकर इधर-उधर घूमते फिरने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। इसी लापरवाही का नतीजा सामने है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे कई बार लिखित एवं मौखिक शिकायत नगर पंचायत को कर चुके हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार नगर पंचायत अधिकारी के कार्यों में अब तक जू तक नहीं रेंग रही हैं। यह सवाल बरकरार है कि आखिर प्रशासन हादसे के बाद ही क्यों जागता है?

मवेशियों के कान में पशु विभाग के द्वारा टैग लगाया जाता हैं उससे मवेशियों के मालिकों की पचचान की करते हुए मवेशी मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी साथ ही आवारा पशुओं को शहर से बाहर करने के लिए निकाय के सीएमओ को निर्देशित किया जाएगा।

देवेंद्र कुमार प्रधान
एसडीएम राजपुर

कीचड़ भरे रास्ते से गुजरने को मजबूर ढनढनी के ग्रामीण: मूलभूत सुविधाओं के लिए खुद उठा रहे जिम्मेदारी

श्रमबिन्दु / बलौदाबाजार

ग्राम पंचायत मुंडा के आश्रित ग्राम ढनढनी के निवासियों की तकलीफें इन दिनों लगातार बढ़ती जा रही हैं। गांव में सड़क की बदहाल स्थिति ग्रामीणों के दैनिक जीवन में न केवल बाधा बन रही है, बल्कि बच्चों की शिक्षा, लोगों के रोजगार और आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा तक पहुंचने में भी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रही है। हल्की बारिश के बाद भी पूरा रास्ता कीचड़ और गड्ढों से भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है।

ढनढनी के मुख्य मार्ग की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि जोगी तालाब से सतगम तालाब तक का 100 मीटर लंबा रास्ता भी अब पूरी तरह से कीचड़ से भर गया है। खास बात यह है कि इसी रास्ते से स्कूली बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, किसान और आम ग्रामीण प्रतिदिन



गुजरते हैं। लगातार कीचड़ में फिसलने की घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई दुपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं। ढनढनी गांव के लोग लवन बाजार पर पूरी तरह निर्भर हैं—खाद्य सामग्री, दवाई, कृषि उपकरण से लेकर शैक्षणिक संसाधनों तक के लिए। लेकिन लवन जाने वाले मार्ग कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरसात में तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि ग्रामीण कई बार रास्ते में ही फंस जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा बार-बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने के बावजूद नतीजा शून्य रहा। समाधान शिविरों में आवेदन देने के बाद भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

स्कूली बच्चे कंधों पर बैग लेकर घुटनों तक कीचड़ में चलने को मजबूर हैं, तो वहीं गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों की स्थिति और भी दयनीय है। जब प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला, तो ग्राम पंचायत मुंडा की सक्रिय ग्रामीण महिलाएं और पुरुष स्वयं आगे आए। शकिला पांडे उर्फ मुन्नी दीदी, उषा कोसले, रमेश चतुर्वेदी, तेज कुमार रात्रे, जया बाई रात्रे और अन्य ग्रामीणों ने मिलकर चंदा इकट्ठा कर खुद बजरी डलवाकर कीचड़ भरे रास्ते को किसी हद तक चलने लायक बनाया।

भीम क्रांतिवीर छत्तीसगढ़ के जिला उपाध्यक्ष संदीप कोसले ने स्थिति को लेकर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 21वीं सदी में भी ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती है। प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में न केवल सड़क की हालत खराब है बल्कि स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज, पेयजल व्यवस्था जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं भी नदारद हैं। कई घरों

के सामने गड़ते इन्हें गहरे हैं कि बारिश में पानी भरकर 'तालाब' का रूप ले लेते हैं।

ग्रामीणों की मांग:

- तत्काल सीसी रोड निर्माण कराया जाए।
 - लवन से जोड़ने वाली सड़क की समग्र मरम्मत कराई जाए।
 - प्राथमिक शाला तक सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया जाए।
 - गांव में स्ट्रीट लाइट और नालियों का निर्माण कराया जाए।
 - प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करें।
- निष्कर्ष: ढनढनी गांव के लोगों की यह समस्या शासन-प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए एक खुली चुनौती है। जहां सरकार ग्रामीण विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं ढनढनी जैसे गांव आज भी कीचड़ भरी सड़कों और अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर हैं। यदि जल्द ही कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में ग्रामीणों का गुस्सा जनआंदोलन का रूप भी ले सकता है।

| |
|--|
| कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला जिला बेमेतरा छग. // ईरतहार // |
| एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1. चिराग गोयत पिता कुलदीप सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर कननाल तह व जिला कननाल हरियाणा 2. हर्ष कुमार पिता अनिल पिता अनिल मोर जाति जाट निवासी लुदना तह व जिला जींद राज्य हरियाणा द्वारा आममुख्यार प्राप्त श्री बलवीर सिंह निवासी लुदना पोष्ट लुदना तह व जिला जींद राज्य हरियाणा हाल मुकाम ग्राम बेरिया तह सर्वसाधारण जिला बेमेतरा छग. द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। |
| अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति का संस्था उच्च-दावा हो तो दिनांक 08/07/25 तक स्वतः अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में शाम 5:00 बजे तक दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। तथा समय पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। |
| आज दिनांक 23/06/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय के पदमुद्रा सहित जारी किया गया। |
| अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला जिला बेमेतरा छग. |

आर्थिक सुरक्षा के लिए करवाए बीमा

कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा जैसे विभिन्न बीमा योजनाओं के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को बीमा के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि अग्रिय स्थिति में उनके परिवार को सुरक्षा के साथ आर्थिक सहयोग मिल सके। उन्होंने बीमा वलेम एवं सेटलमेंट के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग को फसल बीमा बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

फ़ाइनेंशियल फ़्रॉड से बचने करें जागरूक

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान में फ़ाइनेंशियल फ़्रॉड के काफी मामले आ रहे हैं। वहीं इन्टरनेट बैंकिंग में सर्वाधिक युवा वर्ग है, जो लिंक में क्लिक कर या अन्य माध्यम से फ़ाइनेंशियल फ़्रॉड के शिकार हो रहे हैं। उन्हें जागरूक जागरूक करें, ताकि उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके।

कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाए गए केसीसी प्रकरण की अद्यतन प्रगति एवं बैंकों में लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने केसीसी के कम वितरण एवं लंबित प्रकरणों पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों में केसीसी प्रकरण लंबित है, उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने बैंकों एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि केसीसी एवं अन्य लोन प्रकरण में बैंक के अधिकारियों के फ़ौल्ट

विजिट के दौरान संबंधित विभागीय अधिकारी साथ में उपस्थित रहे, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अंत्योदय स्वरोजगार एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना में अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नाबाई के कार्ययोजना एवं लक्षित हितग्राहियों की जानकारी लेते हुए विभागीय अधिकारियों से समन्वय कर योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

30 युवाओं को मिला इज़िविंग लाइसेंस व प्रमाण पत्र

बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अमल करते हुए जिला प्रशासन द्वारा हम होंगे कामयाब के तहत बल्दाकछार एवं आस –पास के 30 ग्रामीण युवाओं को इज़िविंग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर गुरुवार को विकासखंड कसडोल के ग्राम बोरसी में आयोजित चरण पादुका वितरण कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सभी 30 युवाओं को लर्निंग इज़िविंग लाइसेंस व प्रमाण पत्र प्रदान किया।

| |
|---|
| SARTHAK An ISO 9001:2015 Certified Co. SARTHAK METALS LIMITED CIN : L51102CT1995PLC009772 Regd. Office - B. B. C. Colony, Khursipar, G. E. Road, Bhilai, C. G.-490 011 Website : www.sarthakmetals.com Email : cs@sarthakmetals.com Contact No. +91-9303773708 |
| NOTICE OF THE 30TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND RECORD DATE |
| NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, July 25, 2025 at 12:00 p. m. (IST) at the Hotel Ashish International, G. E. Road, Bhilai Power House, Chhattisgarh-490 011 to transact the business, as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM. |
| In accordance with Circular Numbers SEBI/HO/CFD/COMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and 28 th December, 2022 respectively issued by Securities Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), the Company on June 26, 2025 has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. Physical letters containing the URL Link of the Annual Report 2024-25 are also being sent to those members whose e-mail addresses are not registered. Annual Report 2024-25 is also available on the website of the Company at www.sarthakmetals.com , BSE Limited at www.bseindia.com , National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com , and https://vote.bigshareonline.com . |
| REMOTE E-VOTING |
| In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically on all resolutions set forth in the Notice of AGM during the remote e-voting period through the electronic voting platform provided by Bigshare Services Private Limited. |
| Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to the AGM or during the AGM through a ballot paper. A detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM. |
| Members may cast their votes remotely on the dates mentioned herein below (remote e-voting). The Company has engaged the services of Bigshare Services Private Limited as the agency to provide e-voting facility. |
| The remote e-voting facility will be available during the following voting period: |
| Commencement of e-Voting From 9.00 a. m. (IST) on Tuesday, July 22, 2025 |
| End of e-Voting Up to 5.00 p. m. (IST) on Thursday, July 24, 2025 |
| The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time, and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by Bigshare Services Private Limited upon expiry of the said period. |
| Members attending the AGM who have not cast votes by remote e-voting will be able to vote through a ballot paper at the AGM. |
| A person whose name is recorded in the Register of Members as on the Cut-off date, that is, Friday, July 18, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or to vote through ballot paper at the AGM. |
| The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Cut-off date. |
| Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares on the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to vote@bigshareonline.com . |
| PAYMENT OF DIVIDEND |
| The final dividend of ₹ 0.50 (Rupee Fifty Paise) per equity share of ₹ 10/- each, as recommended by the Board of Directors of the Company for the Financial Year ended March 31, 2025 at their meeting held on May 22, 2025, if approved by the Members at their ensuing 30 th AGM will be paid to the eligible Members on or after July 30, 2025. The Company has fixed Friday, July 11, 2025, as the 'Record Date' for determining entitlement of members to final dividend for FY 2024-25, if approved at the AGM. In the event the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by electronic mode, due to non-registration of the bank account, the Company will dispatch the dividend warrant / demand draft / cheque to such shareholder, in due course. |
| In view of this: |
| i. Members holding shares in the demat mode are requested to update their Bank accounts details with their respective Depository Participants (DPs); and |
| ii. Members holding shares in the physical form are requested to submit the name and bank account details of the first shareholder along with a cancelled cheque leaf with your name and bank account details and a duly self-attested copy of your PAN card, with the Bigshare Services Private Limited, Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company. In case the cancelled cheque leaf does not bear your name, please attach a copy of the bank pass-book statement, duly self-attested. |
| REGISTRATION OF E-MAIL ADDRESSES |
| Members who have not yet registered their e-mail addresses are requested to register their email addresses. Members holding shares in demat form are requested to update the same with their Depository Participant and to RTA for Members holding shares in physical form. |
| In case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and i-Vote e-voting module available at https://vote.bigshareonline.com , under download section or you can email us to vote@bigshareonline.com or call us at: 1800 22 54 22. |
| Members are requested to carefully read all the notes set out in the Notice of the 30 th AGM and instructions for manner of casting vote through remote e-voting. |
| For Sarthak Metals Limited Sd/- Pratik Jain Company Secretary |
| Place : Bhilai (C. G.) Date : 26 th June, 2025 |